

2025/772

ग्रामीण सेवा शिविर-2025 (फाल्गुण)

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
कमाक / सीडर / 2025 /

दिनांक 2025

उपवानी प्रकरण : रामावतार बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 395/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक 03 / भू.अ. / 2025 दिनांक 29/12/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम खुरमपुरा पटवारी हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नं. भू.अ. खाता संख्या 228,406 में खातेदार रामावतार पुत्र डूंगाराम के स्थान पर रामावतारथाख पुत्र डूंगारामथाख का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का फुटाला उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमाक / सीडर / 2025 /

दिनांक 2025

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



31

11/11/21
2025/772

परमार्जन गांवों के संग-अभियान 2021


रिपोर्ट पर्यवेक्षी व मुख्यानि

उपरोक्त विषय में जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

श्रीमान जी ए. हं. फुलला में जमाबंदी संक्र. 2024-77 में भूमि खाता सं. 406, 228, (114) में आवेदन का नाम रामावतार पुत्र डुंगाराम जाति अहीर दर्ज रिपोर्ट है। आर्ची का नाम रामावतार पुत्र डुंगाराम का स्थान पर रामावतार यादव पुत्र डुंगाराम यादव जाति अहीर दर्ज करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। श्रीमान जी मोड़ पर उपस्थित है। उधरता 19 पर व आर्ची द्वारा उक्त दस्तावेजों तथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में आर्ची का नाम रामावतार यादव पुत्र डुंगाराम यादव जाति अहीर दर्ज है। उक्त दोनो आवेदन एक ही हैं।


रिपोर्ट आग्रिम आर्षिणी हेतु सादर प्रेषित है।

उपरोक्त आर्षिणी पर जांच के आधारे पर
रिपोर्ट


19.12.25
उपखण्ड मुख्यानि

द्वारा - 136 29-12-25


मुताबिक रिपोर्ट मखरी एवं रिपोर्ट भू.अ. नि. के आधार पर भूमि की जाने की अभिशंषा की जाती है।


तहसीलदार (पू.अ.)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

395
2025/772

आदेश
मुख्यानि, जिला पर्यवेक्षी

पखारी हलका फुलला व भू. अ. नि. वृत्त मुख्यानि की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर ग्राम खुर्मपुरा के खाता सं. 228, 406 में दर्ज खातेदार का नाम रामावतार पुत्र डुंगाराम के स्थान पर रामावतार यादव पुत्र डुंगाराम यादव जाति अहीर दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)